

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/नाम विलोपित पार्ट-2-2024/25947/2024/89

दिनांक 05-3-2024

-: आदेश :-

निम्नांकित नर्सिंग कार्मिक का सेवा में रहते उनके नाम के सम्मुखानुसार अंकित दिनांक से निधन होने के कारण राज्य सेवा से नाम पृथक किया जाता है:-

क. स.	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती) एवं पद	पदनाम पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	निधन की तिथि
1	खेम चन्द वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	सा0 स्वा0 के0 बसईनबाव जिला धौलपुर	12.11.1964	08.08.1990	19.01.2024

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कार्मिक के विरुद्ध आज दिनांक तक :-

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/नाम विलोपित पार्ट-2-2024/25947/2024/89

दिनांक 05-3-2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स वेलफेयर विभाग राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन कोटा।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को उनके पत्रांक 594 दिनांक 22.02.2024 के कम में।
- प्रभारी कनिष्ठ विशेषज्ञ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बसईनबाव जिला धौलपुर।
- मृतक के आश्रितों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी राजहैल्थ / प्रशासनिक अधिकारी, डी.पी.सी. (अराजपत्रित) अनुभाग, मुख्यालय।
- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
- आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
5836820

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :05-03-2024 02:57:08